बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- ग्रा0वि08(थ)-37/06(खंड) - 3429 / दिनांक- 29.4.09

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

विषय- BSWAN परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना (National E- Governance Plan) के अन्तर्गत बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ा जायेगा । इस तरह से यह परियोजना राज्य का अपना वाइड एरिया नेटवर्क होगा जिसके माध्यम से Data, Voice तथा Video का आदान-प्रदान किया जायेगा । राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालयों एवं प्रखंड मुख्यालयों में BSWAN Point of Presence (PoP) केन्द्र के लिए एक कमरा एवं विद्युत संयोजन उपलब्ध करावें ।

इस कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (बेल्ट्रॉन) को नोडल ऐजेन्सी एवं योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए इम्पलीमेंट सपोर्ट एजेन्सी के रूप में कन्सलटेन्ट फर्म बिहार ई-गर्वनेन्स सर्विसेज एण्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड (BeST Ltd.) को नामांकित किया गया है । योजना की क्रियान्वयन के लिए निविदा के माध्यम से Tata Consultancy Services का चयन किया गया है । TCS के द्वारा इस योजना के रख-रखाव का कार्य अगले पांच वर्षों तक किया जायेगा ।

प्रखंड मुख्यालय में स्थापित BSWAN PoP उस प्रखंड के लिए नोडल केन्द्र होगा । अत: प्रखंड मुख्यालय में BSWAN परियोजना के संचालन के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं-

1. PoP कमरा सरकारी संपत्ति है जिसकी आवश्यक सुरक्षा की जाए । इस संपत्ति का किसी भी तरह से दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

2. DG Set का उपयोग केवल PoP कमरा के लिए होना चाहिए क्योंकि यह PoP कमरा के लोड के अनुसार उपलब्ध कराया गया है ।

3. TCS के परियोजना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकृत व्यक्ति को PoP कमरा में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

4. PoP कमरा का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए । इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में ही किसी अन्य कार्य के लिए होना चाहिए ।

5. PoP कमरा में प्रवेश की अनुमति सोमवार से शनिवार, समय 09:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक दिया जाना चाहिए ।

6. पांच KVA व्यवसायिक लोड का बिजली कनेक्शन सभी प्रखंडों में उपलब्ध किया जाना है जिसका व्ययभार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिपूर्त्ति किया जाएगा ।

7. BSWAN परियोजना के अन्तर्गत सभी जिलों एवं प्रखंडों में PoP कमरा उपलब्ध कराया जाना था परन्तु कुछ प्रखंडों में अभी तक PoP कमरा उपलब्ध नहीं कराया गया है । अत: जिला पदाधिकारी कृपया सुनिश्चित करें कि जिन प्रखंडों में कमरा उपलब्ध नहीं कराया गया है उन प्रखंडों में अविलम्ब कमरा उपलब्ध कराया जाय ।

जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था के साथ-साथ जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय सरकारी कार्यों को गति देने के लिए इस IT सुविधा का समुचित उपयोग करें ।

विश्वासभाजन,

अमु 29/4/09

(अनूप मुखर्जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 3429 / ग्रा0वि0, पटना, दिनांक 29 अप्रील, 2009

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन, पटना, CEO, BEST पटना एवं Project Manager, TCS Ltd. पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अमु 29/4/09

(अनूप मुखर्जी)
प्रधान सचिव ।